

क्रियान्वयन हेतु दिशा—निर्देश

कार्यक्रम का नाम— Family Planning Indemnity Scheme

बजट /एफ०एम०आर० शीर्ष— A.3.5.4

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या : A.3.5.4.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों में परिवार नियोजन बन्धाकरण के उपरांत हुई मृत्यु/विफलताओं/जटिलताओं इत्यादि हेतु बीमा योजना दिनांक 29 नवम्बर 2005 से सभी राज्यों में प्रारंभ की गई है। इस योजना अंतर्गत दावों का भुगतान ICICI Lombard के द्वारा किया जाता हरा है जिसकी अवधि 31 मार्च 2013 को समाप्त हो गई है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 (दिनांक 1.4.2013) से परिवार नियोजन बन्धाकरण अंतर्गत मृत्यु/विफलताओं/ चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य संस्थानों से संबंधित क्षतिपूर्ति दावों का भुगतान अब संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा किया जाना है। NRHM के अंतर्गत उक्त हेतु बजट का प्रावधान किया गया है, और इस योजना का नाम परिवार कल्याण बीमा योजना से बदलकर ‘परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना’ (Family Planning Indemnity Scheme) रखा गया है।

इकाई राशि (रु० में)–निम्नवत् है।

Section	Coverages	Limits
I A	Death following sterilisation (inclusive of death during process of sterilisation operation) in hospital or within 7 days from the date of discharge from the hospital	Rs. 2 Lakh
I B	Death following sterilisation within 8-30 days from the date of discharge from the hospital	Rs. 50,000/-
I C	Failure of sterilisation	Rs.30,000/-
I D	Cost of treatment in hospital and upto 60 days arising out of complication following sterilisation operation (inclusive of complication during process of sterilisation operation) from the date of discharge.	Actual not exceeding Rs.25,000/-
II	Indemnity per Doctor/Health Facilities but not more than 4 in a year.	Upto Rs.2 Lakh per claim

वित्तीय दिशा निर्देश—

योजना के संदर्भ में सत्यापन और चिकित्सा मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए लाभार्थियों द्वारा दर्ज पात्र दावों का भुगतान जिला स्तरीय गठित गुणवत्ता यकीन समिति (District Quality Assurance) के निरीक्षण के पश्चात किया जाना है। सभी दावों का भुगतान चेक के माध्यम से नियमानुसार DHS द्वारा संपादित किया जाना है।

नोट: जिलों में राशि का वितरण पिछले तीन वर्ष में उन जिलों द्वारा परिवार नियोजन बीमा योजनानंतर्गत क्षतिपूर्ति दावों के आधार पर किया गया है। जिन जिलों में राशि आवंटित नहीं है वहाँ इस योजना अंतर्गत मृत्यु/विफलताओं/ जटिलताओं/चिकित्सकों इत्यादि से संबंधित क्षतिपूर्ति दावों का नियमानुकूल निर्णय लेने के उपरान्त राज्य स्वा० समिति को पत्र के द्वारा सूचित किया जाये ताकि राशि उपलब्ध कराई जा सके।

इस संदर्भ में यदि पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(1) पत्रांक संख्या 33237 दिनांक 02.04.2013

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का नाम – डॉ० ए. के., शाही,/सुबोध जायसवाल
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का फोन नं० : 9470003017, 9431005971

13/7/13

801

96

क्रियान्वयन हेतु दिशा—निर्देश

कार्यक्रम का नाम: Adolescent Reproductive & Sexual Health (युवा क्लिनिक)

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Disseminate ARSH Guideline

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): A.4.1.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : भारत सरकार ने किशोर—किशोरियों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार, सामान्य एवं बेहतर भविष्य को लक्ष्य मानकर अर्श कार्यक्रम प्रारंभ किया है। गत वित्तीय वर्ष में राज्य के 13 जिलों के 55 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 15 जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज अस्पताल में युवा क्लिनिक आरंभ किये गये। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में 10 नये जिले कार्यक्रम में शामिल किये गये हैं। जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज स्तर पर युवा क्लिनिक सप्ताह में 6 दिन एवं प्रखंड स्तर पर सप्ताह में दो दिन संचालित होंगे।

कार्यक्रम की त्रैमासिक जिला स्तरीय बैठक सिविल सर्जन की अध्यक्षता में होगी। बैठक में DPM, जिला अस्पताल /मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि, चयनित प्रखंडों के MO/IC एवं BHM का भाग लेना आवश्यक है।

बैठक में चर्चा हेतु मुख्य बिन्दु निम्न होंगे :—

- कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी एवं अद्यतन प्रगति
- कार्य योजना का निर्माण
- कार्य योजना के संचालन में आ रही समस्याओं का निराकरण।

इकाई राशि (रु० में) : 500/- रु० प्रति बैठक (जिला स्तर पर)

वित्तीय दिशा निर्देश : (i) द्विमासिक जिला स्तरीय बैठक (वर्ष में छह: बार)

रु० 500/- प्रति बैठक, $500 \times 4 = 2000/-$ प्रति जिला अर्थात् रु० $2000 \times 23 = 46000/-$

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

- इस संदर्भ में पूर्व में कोई पत्र प्रेषित नहीं किया गया है।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डॉ० मदन प्रसाद शर्मा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का मोबाइल नम्बर : 9470003023

13/7/13

Q